

H. 11020/1/2016-प्रशा.

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक: 21.01.2019

कार्यालय आदेश सं. ५१ /2019

बजट सत्र, राज्य सभा के 248 सत्र और सोलहवीं लोक सभा के सत्रहवां सत्र, 2019 के दौरान मंत्रालय के निम्नलिखित बहु उद्देशीय कर्मचारियों की रोस्टर के अनुसार उनके सामने दिखाई तारीख से (3/2 दिनों के लिए) मंत्रालय के संसद एकक में ड्यूटी लगाई जा रही है:-

क्र. सं.	प्रत्येक कर्मचारियों की संसद एकक में लगाई गई ड्यूटी की तारीख	बहु उद्देशीय कर्मचारियों का नाम सर्वश्री/विंग	प्रत्येक ड्यूटी की अवधि
	<u>02.02.2019</u> <u>03.02.2019</u> <u>06.02.2019</u> (सायं 03.00 बजे के बाद)	राम जन्म गुप्ता, बजट अनुभाग दीपक कुमार, सी.आर अनुभाग राजु, अवर सचिव (समनवय)	03 दिन
	<u>09.02.2019</u> <u>10.02.2019</u>	चिन्तामणी, पीपी अनुभाग सुखवीर सिंह, एस.पी.आर विंग शशीकांत कुमार, सीआर अनुभाग	02 दिन

2. उपरोक्त सभी कर्मचारियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे कार्यालय अवधि के दौरान अपनी संसद एकक की ड्यूटी से पहले बुधवार को सायं 3.00 बजे संसद एकक में अनुभाग अधिकारी (संसद एकक) को रिपोर्ट करेंगे। अगर किसी अपरिहार्य परिस्थिति वश कोई कर्मचारी ड्यूटी देने में असमर्थ रहता है तो वह मंत्रालय के किसी अन्य इच्छुक कर्मचारी का नाम अपने एवजी के रूप में प्रस्तुत करके व अनुभाग अधिकारी (संसद एकक) के अनुमोदन के बाद ही अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रह सकते हैं, अन्यथा नियमों के अंतर्गत उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

3. उपरोक्त ड्यूटी के लिए अलग से निर्धारित दर पर मानदेय दिया जायेगा।

अशोक कौशिक

(ए.के. कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं.- 23738126

प्रति:

1. रोकड़ अनुभाग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय।
2. संबंधित कर्मचारियों के अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (संसद एकक)।
3. संबंधित कर्मचारी/बैयक्तिक मिसिल।

ok
issued

Atmanand Singh
21/01/19